<u>रजिस्टर्ड डाक द्वारा</u>

<u>संख्याः 24/2020/1179 प्रो०/51-2020-14(04)/2020</u>

प्रेषक,

अजय कुमार ओझा,
अनु सचिव,
मुख्यमंत्री एवं प्रोटोकाल,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकार
वाराणसी।

<u>मुख्यमंत्री कार्यालय (प्रोटोकाल अनुभाग)</u> लखनऊः दिनांक 20 जुलाई, 2020

विषयः जनपद वाराणसी में पधारने वाले राज्य अतिथियों के सेवा-सत्कार पर व्यय हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्याः 365/प्रो०-वि०/2020 दिनांक 22-06-2020 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य अतिथियों के सेवा-सत्कार से संबंधित निम्नलिखित देयकों के भुगतान हेतु धनराशि रूपये 5,55,083=00 (रूपये पाँच लाख पचपन हजार तिरासी रूपये मात्र) आवंटित करते हुए उसे व्यय करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

क्रम सं०	**मा० राज्य अतिथि का नाम/पदनाम/यात्रा की तिथि /वाहन संख्या/देयक संख्या/दिनांक/खान-पान से संबंधित देयक संख्या**	**<u>धनराशि</u>**
1	श्री महेन्द्र नाथ पाण्डेय, मा० केन्द्रीय मंत्री, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, भारत सरकार। दिनांक 12-11-2019, खान पान देयक सं०- 989	रू० 750=00
2	श्री कलराज मिश्र, महा० राज्यपाल, राजस्थान। दिनांक 29-11-2019 से 01-12-2019 वाहन संख्याः यू०पी०-65 एच०टी०-5678, वाहन संख्याः यू०पी०-65 एफ०टी०-2070, देयक संख्याः 1530, दिनांक 04-01-2020 खान पान देयक सं०- 1040,	रू० 23,730=00 रू० 4,802=00
3	मा० न्यायमूर्ति श्री अरविन्द श्रीवास्तव, जज, मा० उच्च न्यायालय, पटना दिनांक 01-01-2020 से 04-01-2020 तक, वाहन संख्याः यू०पी०-65 एच०टी०-5678, देयक संख्याः 2005, दिनांक 04-03-2020 खान पान देयक संख्याः 2031,	रू० 16,170=00 रू० 5,428=00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4	श्रीमती रेणुका सिंह, मा० केन्द्रीय राज्य मंत्री, जनजाति मामले, भा०स० । दिनांक 05-01-2020, वाहन संख्याः यू०पी०-32 जे०एन०-6523, वाहन देयक संख्याःवी०एन०एस०/टैक्सी/181, दिनांक 31-01-2020 खान पान देयक सं०- 07,	रू० 9,843=00 रू० 750=00
5	मा० न्यायमूर्ति श्री शिवाजी पाण्डेय, जज, मा० उच्च न्यायालय, पटना। दिनांक 04-01-2020 से 05-01-2020 खान पान देयक सं०- 11,	रू० 1,010=00
6	डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय, मा० केन्द्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री, भारत सरकार। दिनांक 06-01-2020 से 07-01-2020 खान पान देयक सं०- 16	रू० 1,522=00
7	श्री धर्मेन्द्र प्रधान, मा० केन्द्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री, भारत सरकार। दिनांक 05-01-2020, वाहन संख्याः यू०पी०-32 जे०एन०-6576, वाहन संख्याः यू०पी०-65 ई०टी०-5011, वाहन देयक संख्याः वी०एन०एस०/टैक्सी/182 , दिनांक 31-01-2020 खान पान देयक संख्याः 13,	रू० 19,611=00 रू० 740=00
8	श्री एस०पी० सिंह, संयुक्त सचिव, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार । दिनांक 09-01-2020 से 11-01-2020 वाहन संख्याः यू०पी०-32 के०एन०-9011, वाहन देयक संख्याःवी०एन०एस०/टैक्सी/186, दिनांक 31-01-2020	रू० 22,394=00
9	डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय, मा० केन्द्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री, भारत सरकार। दिनांक 10-01-2020 से 11-01-2020 वाहन संख्याः यू०पी०-65 जी०टी०-0650, वाहन संख्याः यू०पी०-65 एफ०टी०-2070, वाहन देयक संख्याः 2006, दिनांक 04-03-2020	रू० 30,628=00
10	मा० न्यायमूर्ति श्री आलोक कुमार वर्मा, जज, मा० उच्च न्यायालय, पटना। दिनांक 11-01-2020 से 14-01-2020 वाहन संख्याः यू०पी०-65 डी०टी०-9090, वाहन देयक संख्याः 2007, दिनांक 04-03-2020 खान पान से संबंधित देयक संख्याः 26,	रू० 15,906=00 रू० 5030=00
11	श्री दुर्गा शंकर मिश्रा, सचिव, आवास एवं शहरी मामले, भा० स० दिनांक 11-01-2020 से 12-01-2020 वाहन संख्याः यू०पी०-32 जे०एन०-6573, वाहन देयक संख्याः वी०एन०एस०/टैक्सी/187, दिनांक 31-01-2020	रू० 17,563=00

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

12	श्री बन्डारू दत्तात्रेय, महा० राज्यपाल, हिमांचल प्रदेश। दिनांक 15-01-2020 से 16-01-2020 वाहन संख्याः यू०पी०-32 जे०एन०-6576, वाहन संख्याः यू०पी०-32 के०एन०-9011, वाहन देयक संख्याः वी०एन०एस०/टैक्सी/189, दिनांक 31-01-2020 खान पान देयक संख्याः 38,	रू० 35,443=00 रू० 2,417=00
13	डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय, मा० केन्द्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री, भारत सरकार । दिनांक 18-01-2020 से 19-01-2020 वाहन संख्याः यू०पी०-65 जी०टी०-0650, वाहन संख्याः यू०पी०-65 एफ०टी०-2070, वाहन देयक संख्याः 2008, दिनांक 04-03-2020 खान पान देयक संख्याः 48,	रू० 43,422=00 रू० 730=00
14	श्री अनीमुल हक लस्कर, मा० उप सभापति, आसाम विधान सभा । दिनांक 15-01-2020 से 18-01-2020 खान पान देयक संख्याः 50,	रू० 1,130=00
15	श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी, मा० केन्द्रीय महिला एवं बाल विकास तथा वस्त्र मंत्री, भारत सरकार । दिनांक 18-01-2020, वाहन संख्याः यू०पी०-65 एफ०टी०-0650, वाहन देयक संख्याः 2009, दिनांक 04-03-2020	रू० 3,780=00
16	डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय, मा० केन्द्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री, भारत सरकार । दिनांक 28-01-2020 से 29-01-2020 खान पान देयक संख्याः 65,	रू० 1,330=00
17	श्री राजीव रंजन मिश्रा, आई०ए०एस०, डी०जी०, एम०एन०सी०जी०, भारत सरकार। दिनांक 26-01-2020, वाहन संख्याः यू०पी०-65 एच०टी०-7373, वाहन देयक संख्याः 2010, दिनांक 04-03-2020	रू० 3,780=00
18	मा० न्यायमूर्ति श्री आर०सी० खुल्बे, जज, मा० उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड। दिनांक 02-02-2020 से 04-02-2020 खान पान देयक संख्याः 91,	रू० 2,510=00
19	मा० न्यायमूर्ति श्री एस० चन्द्रशेखर, जज, मा० उच्च न्यायालय, झारखण्ड, रांची। दिनांक 09-02-2020 से 10-02-2020 वाहन संख्याः यू०पी०-65 एच०टी०-6578, वाहन देयक संख्याः 2013, दिनांक 04-03-2020	रू० 7,822=00

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

20	श्री सोम प्रकाश, मा० केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री, भारत सरकार। दिनांक 09-02-2020 वाहन संख्याः यू०पी०-65 एच०टी०-9494, वाहन देयक संख्याः 2014, दिनांक 04-03-2020 खान पान देयक संख्याः 113,	रू० 3,780=00 रू० 720=00
21	श्री संजय अग्रवाल, सचिव, कृषि को-आपरेशन एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार । दिनांक 08-02-2020, वाहन संख्याः यू०पी०-65 एफ०टी०-2070, वाहन देयक संख्याः 2012, दिनांक 04-03-2020	रू० 3,780=00
22	श्री कलराज मिश्र, महा० राज्यपाल, राजस्थान। दिनांक 09-02-2020 से 10-02-2020 खान पान देयक संख्याः 115,	रू० 2,798=00
23	श्री विनोद कुमार पॉल, मा० सदस्य, नीति आयोग, भारत सरकार। दिनांक 12-02-2020, वाहन संख्याः यू०पी०-65 एफ०टी०-2070, वाहन देयक संख्याः 2016, दिनांक 04-03-2020	रू० 3,780=00
24	डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय, मा० केन्द्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री, भारत सरकार। दिनांक 11-02-2020 से 13-02-2020 वाहन संख्याः यू०पी०-65 जी०टी०-0650, वाहन संख्याः यू०पी०-65 एफ०टी०-2070, वाहन देयक संख्याः 2015, दिनांक 04-03-2020 खान पान देयक सं०- 131,	रू० 51,054=00 रू० 830=00
25	मा० न्यायमूर्ति श्री विनीत सरन, जज, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इण्डिया। दिनांक 14-02-2020 वाहन संख्याः यू०पी०-65 एच०टी०-6464, वाहन देयक संख्याः 2017, दिनांक 04-03-2020	रू० 6,876=00
26	डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय, मा० केन्द्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री, भारत सरकार। दिनांक 15-02-2020 से 16-02-2020 वाहन संख्याः यू०पी०-65 जी०टी०-0650, वाहन संख्याः यू०पी०-65 एफ०टी०-2070, वाहन देयक संख्याः 2018, दिनांक 04-03-2020 खान पान देयक सं०- 153,	रू० 31,460=00 रू० 2,410=00

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

27	मा० न्यायमूर्ति श्री सीएच० मानवेन्द्रनाथ राय, जज, मा० उच्च न्यायालय, आन्ध्र प्रदेश दिनांक 20-02-2020 से 21-02-2020 वाहन संख्याः यू०पी०-65 एफ०टी०-2070, वाहन देयक संख्याः 2020, दिनांक 04-03-2020	रू० 7,822=00
28	श्री रजनीश कुमार, चेयरमैन, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया। दिनांक 21-02-2020 से 22-02-2020 वाहन संख्याः यू०पी०-65 जी०टी०-0650, वाहन देयक संख्याः 2021, दिनांक 04-03-2020	रू० 7,822=00
29	डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय, मा० केन्द्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री, भारत सरकार । दिनांक 21-02-2020 से 23-02-2020 वाहन संख्याः यू०पी०-65 जी०टी०-0650, वाहन संख्याः यू०पी०-65 एफ०टी०-2070, वाहन देयक संख्याः 2022, दिनांक 04-03-2020 खान पान देयक संख्याः 171,	रू० 45,762=00 रू० 1,640=00
30	श्री अश्वनी कुमार चौबे, मा० केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री, भारत सरकार। दिनांक 24-02-2020 वाहन संख्याः यू०पी०-65 जी०टी०-0695, वाहन संख्याः यू०पी०-65 एफ०टी०-2070, वाहन देयक संख्याः 2024, दिनांक 04-03-2020 खान पान देयक संख्याः 174,	रू० 12,450=00 रू० 490=00
31	श्री राजीव रंजन मिश्रा, आई०ए०एस०, डी०जी०, एम०एन०सी०जी०, भारत सरकार। दिनांक 25-02-2020, वाहन संख्याः यू०पी०-65 डी०टी०-9034, वाहन देयक संख्याः 2025, दिनांक 04-03-2020 खान पान देयक संख्याः 178,	रू० 3,780=00 रू० 608=00
32	श्री रमेश पोखरियाल "निशंक", मा० केन्द्रीय मानवाधिकार मंत्री, भा०स० दिनांक 27-02-2020, वाहन संख्याः यू०पी०-65 जी०टी०-0650, वाहन देयक संख्याः 2027, दिनांक 04-03-2020	रू० 3,840=00
33	श्री प्रह्लाद सिंह पटेल, मा० केन्द्रीय पर्यटन एवं संस्कृति राज्य मंत्री, भारत सरकार। दिनांक 26-02-2020 से 27-02-2020 वाहन संख्याः यू०पी०-65 डी०टी०-9090, वाहन संख्याः यू०पी०-65 एफ०टी०-2070, वाहन देयक संख्याः 2026, दिनांक 04-03-2020	रू० 15,644=00

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

34	डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय, मा० केन्द्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री, भारत सरकार । दिनांक 27-02-2020 से 28-02-2020 वाहन संख्याः यू०पी०-65 जी०टी०-0650, वाहन संख्याः यू०पी०-65 एफ०टी०-2070, वाहन देयक संख्याः 2028, दिनांक 04-03-2020	रू० 36,638=00
35	डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय, मा० केन्द्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री, भारत सरकार । दिनांक 29-02-2020 से 01-03-2020 वाहन संख्याः यू०पी०-65 जी०टी०-0650, वाहन संख्याः यू०पी०-65 एफ०टी०-2070, वाहन देयक संख्याः 2029, दिनांक 04-03-2020	रू० 32,858=00
	(रूपये पाँच लाख पचपन हजार तिरासी रूपये मात्र) कुल योग	रू० 5,55,083=00

2- उक्त स्वीकृत धनराशि के आहरण की सूचना, संबंधित कोषागार की डी०डी०ओ० रिकान्सिलेशन स्टेटमेंट की प्रमाणित प्रति एवं भुगतान का व्यय विवरण निर्धारित प्रपत्र-1 पर शासन को एक सप्ताह के अन्दर अवश्य उपलब्ध करा दिया जाये। उक्त धनराशि के आहरण से पूर्व यह भी अवश्य सुनिश्चित कर लिया जाय कि देयक का भुगतान दुबारा नहीं किया जा रहा है। उक्त से सम्बन्धित देयक मूलरूप में वापस किये जा रहे हैं।

3- उक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या -84 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक-"2053-जिला प्रशासन-093-जिला स्थापनाएं-03-कलेक्ट्री स्थापनाएं-22-आतिथ्य व्यय/व्यय विषयक भत्ता आदि" के नामें डाला जायेगा।

<u>संलग्नकः (35 देयक मूलरूप में)</u>

भवदीय,
अजय कुमार ओझा
अनु सचिव।

<u>संख्याः 24/2020/1179(1) प्रो०/51-2020-14(04)/2020, तद् दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश (प्रथम), इलाहाबाद
2. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5।
3. कोषाधिकारी, वाराणसी।
4. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ।
5. वित्तीय प्रबन्धक, उ०प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ।
6. क्षेत्रीय प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, वाराणसी।
7. ट्रेवैल्स किंग आसू, यूजी-42, पीसीएफ प्लाजा, नादेसर, वाराणसी।
8. कार्यालय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से
अजय कुमार ओझा
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in